


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (जम्मौर) दीवाना के नाम से

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत शीछा


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्ट्यारी शीछा व भू.अ.नि. देवलीकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार लुठाना की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम नयावा तहसील नावां जिला जम्मौर की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 30 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जागी है)
1	नयावा	30	राजेश पुत्र लक्ष्मीर सिंह 119/6625 जाति कोविकु सांरेह नायब	राजेश दामि पुत्र श्युवीर जसाद दामि सिंह 119/6625 जाति कोविकु सांरेह (होली)


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत / केम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी नावां (जम्मौर) (DK)
दिनांक 26/6/25

क्रमांक / प्र.गा.के.स. / 2025 / P00 / 20
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनाार्थ।


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत / केम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी नावां (जम्मौर) (DK)
दिनांक 26/6/25